POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 30.10.2025

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा वादी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लाभ कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी से 3,26,00,000 रुपये की ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 12.06.2025 को वादी निवासी सेक्टर-27 नोएडा ने थाना साइबर क्राइम आकर सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा रेट फाइन इनवेस्टेमेंट लिमटेड कम्पनी का कर्मचारी बनकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर उससे 3,26,00,000 रुपये को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिये गये है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 30.10.2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन एवं लोकल इन्टेलीजेन्स की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3,26,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले 02 अभियुक्त 1.राजीव वर्मा 2.उमा शंकर को इन्दौर, मध्य प्रदेश से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त राजीव वर्मा के खाते में करीब 10 लाख रुपये प्राप्त हुये। अभियुक्त के खाते के विरूद्ध विभिन्न राज्यो में एनसीआरपी पोर्टल पर 16 शिकायते दर्ज है। उपरोक्त अभियोग में पूर्व में 12 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राजीव वर्मा ने बताया कि वह मोबाइल बेचने की मार्केटिंग का काम करता है तथा काम अच्छा न चलने के कारण उसको पैसे की तंगी थी। अतः उसने अपने दोस्त उमा शंकर से बात कर अपने नाम करेन्ट बैंक खाता खुलवाकर अपने दोस्त उमाशंकर को दे दिया, जिसका एक्सिस उमा शंकर के पास था। उस खाते के बदले 50 हजार रूपये राजीव वर्मा को प्राप्त हुए। अभियुक्त उमाशंकर ने बताया कि उसका सम्पर्क टेलीग्राम के माध्यम से एक ग्रुप से हुआ था, जिनको करेन्ट बैंक खाता की आवश्यकता थी। वह पैसा लेकर उनको बैंक खाते उपलब्ध कराता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राजीव वर्मा निवासी जनपद इंदौर, मध्य प्रदेश
2. उमा शंकर निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 54/2025 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनस व 66 डी आइटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. अपना आधार की आई0डी0, पेन कार्ड या अपना बैंक खाता किसी अंजान को न दे ।

2.थाना जारचा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही से घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 30.10.2025 को थाना जारचा पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्त सचिन पुत्र ब्रह्म सिंह को जनपद अलीगढ में घंटा घर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही से 01 तमंचा .315 बोर मय उसकी नाल में फँसा हुआ 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 20.10.2025 को थाना जारचा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सैंथली में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद में अजयपाल व दिपांशु की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त सचिन उपरोक्त वाँछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सचिन पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम आनन्दपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 0177/2025 धारा 103(1)/109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 0091/2020 धारा 120बी/147/148/149/201/302/352 भादवि, थाना पिसावा, अलीगढ़।
3. मु0अ0सं0- 0099/2020 धारा 307 भादवि, थाना पिसावा, अलीगढ़।
4. मु0अ0सं0- 0101/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना पिसावा, अलीगढ़।
5. मु0अ0सं0- 0192/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना पिसावा, अलीगढ़।
6. मु0अ0सं0- 2859/2020 धारा 135(1)(ए) विद्युत अधिनियम, थाना एण्टी पॉवर थैप्ट, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर

3.थाना दादरी पुलिस द्वारा गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 30.10.2025 को थाना दादरी पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजे की तस्करी करने वाला अभियुक्त राकेश पुत्र उदयवीर को लाल बिल्डिंग के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. राकेश पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम फाजिलपुर, थाना मदनापुर, शाहजहांपुर वर्तमान पता ग्राम रायपुर बांगर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 38 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 0591/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 0500/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 0356/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0- 0158/2022 धारा 60/63 आबकारी एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0- 0421/2022 धारा 379 भादवि, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0- 0468/2022 धारा 307 भादवि, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0- 0469/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0- 0470/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0- 0013/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0- 0287/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0- 1752/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0- 1753/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0- 0314/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0- 0778/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 किलो 100 ग्राम गांजा